प्रेस विज्ञप्ति

07.04.2026

<u>चल एवं अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की – ₹39.45 करोड़ (अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जवाद अहमद सिद्दीकी से संबंधित)</u>

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय स्थित एचआईयू इकाई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट तथा उसके प्रबंध न्यासी श्री जवाद अहमद सिद्दीकी से संबंधित **₹39.45 करोड़ मूल्य की** चल एवं अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में जामिया नगर, ओखला, दिल्ली स्थित श्री जवाद अहमद सिद्दीकी का आवासीय परिसर; ग्राम धौज, फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर से सटी कृषि भूमि; तथा श्री सिद्दीकी एवं अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के डीमैट खाते, बैंक शेष एवं सावधि जमा शामिल हैं।

पीएमएलए के अंतर्गत की जा रही जांच दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी (एफआईआर) से उद्भूत है। जो कि फआईआर संख्या 337/2025 दिनांक 13.11.2025, एफआईआर संख्या 338/2025 दिनांक 13.11.2025 (अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस), तथा एफआईआर संख्या 0021/2026 दिनांक 10.01.2026 (थाना पालम गांव, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली)। उक्त सभी प्राथमिकी में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अपराधों का उल्लेख है, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं। प्राथमिकी में आरोप है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने अवसान हो चुके राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) 'ए' ग्रेड प्रत्यायन को वैध रूप में प्रस्तुत किया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12बी के अंतर्गत मान्यता होने का मिथ्या दावा किया। इसके अतिरिक्त, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर द्वारा "ऑन-पेपर फैकल्टी" तथा "फर्जी रोगियों" की व्यवस्था सहित विभिन्न अनियमितताएं अपनाकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। निदेशालय प्रवर्तन द्वारा श्री जवाद अहमद सिद्दीकी एवं अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध दिनांक 16.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है।

जांच से यह भी उद्घाटित हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 के दौरान ट्रस्ट/विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अनुसूचित अपराधों के माध्यम से कुल **₹493.24 करोड़** की अवैध आय अर्जित की गई। उक्त धनराशि को श्री जवाद अहमद सिद्दीकी एवं उनके परिजनों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं–जैसे करकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी तथा दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड–को हस्तांतरित किया गया। तत्पश्चात इन संस्थाओं के माध्यम से धन का विदेशों में भी प्रेषण किया गया।

इससे पूर्व, दिनांक 16.01.2026 को निदेशालय प्रवर्तन द्वारा ग्राम धौज, फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर की **₹144.09 करोड़ मूल्य की** भूमि एवं भवन को भी कुर्क किया जा चुका है। यह कार्रवाई अनुसूचित अपराधों से अर्जित धन की चल रही जांच का ही भाग है। पूर्व में निदेशालय प्रवर्तन द्वारा श्री जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

मामले में आगे की जांच जारी है।